विज्ञापन

रक्षा मंत्रालय,
Ministry of Defence,

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,
Defence Research and Development Organisation,

राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय
Directorate of Rajbhasha & O&M

मूल रूप से हिन्दी में लिखित अनूदित पुस्तकों को पुरस्कृत/करने के लिए राजभाषा पुस्तक पुरस्कार योजना वर्ष 2017-18
Rajbhasha Book Award Scheme: **-20171 8**for books originally written/translated in Hindi.

रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मूल रूप से हिन्दी में लिखितअनूदित पुस्तकें निम्नलिखित पुरस्कारों के / लिए आमंत्रित हैं ।
Books originally written/translated in Hindi in the field of Defence Science and Technology and Allied subjects are invited for the under-mentioned awards to promote writing books in Hindi

रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध विषय
Defence Science & Technology and Allied subjects

प्रथम पुरस्कार **1st Prize**	**50,000/-**
द्वितीय पुरस्कार **2nd Prize**	**40,000/-**
तृतीय पुरस्कार **3rd Prize**	**30,000/-**
सांत्वना पुरस्कार (दो) **Consolation Prize (Two)**	**20,000/-**

इस योजना से संबंधित विवरण तथा निर्धारित आवेदनपत्र डाक द्वारा सभी कार्य - रक्षा अनुसंधान तथा ,राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय ,दिवसों में निदेशक विकास संगठनमुख्यालय, रक्षा मंत्रालय ,डीआरडीओ भवन ,राजाजी मार्गनई दिल्ली ,- 110011 से प्राप्त किए जा सकते हैं । Details of the scheme alongwith the prescribed application form, can be obtained from the Director, Rajbhasha & O&M, DRDO HQ., Ministry of Defence, DRDO Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi-110011 .

योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31दिसम्बर 2018 है ।
Last date for submission of application form is 31 DECEMBER 2018.

सं. रअविसं/राभा/00220/मु/01

राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
द्वितीय तल, डीआरडीओ भवन,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110011

परिपत्र

विषय: राजभाषा पुस्तक पुरस्कार योजना का विवरण तथा आवेदन पत्र

1. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी शाखाओं नामत: इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट सहित मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सन् 1995-96 से एक वार्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ की है।

2. योजना का विस्तारपूर्वक विवरण इसके संलग्नक में दिया हुआ है। आवेदन पत्र की एक प्रति भी इसके साथ उपलब्ध है।

विषय सूची **पृष्ठ**

क)	योजना, उद्देश्य, विषय, पुरस्कार की राशि	**02**
ख)	पुरस्कार योजना में भाग लेने की पात्रता	**03**
ग)	सामान्य शर्तें, मूल्यांकन समिति तथा विजेता	**04**
घ)	कुछ अन्य सामान्य महत्वपूर्ण बातें	**06**
च)	आवेदन पत्र	**07**
छ)	सरकारी पत्र	

3. आप इस योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं ।

निदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति
फोन: 23017569

1. <u>योजना का नाम</u>

इस योजना का नाम "रक्षा अनुसंधान तथा विकास संबंधी विषयों पर मौलिक हिन्दी पुस्तक-लेखन पुरस्कार योजना" है।

2. <u>उद्देश्य</u>

इस योजना का उद्देश्य रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में स्तरीय पुस्तक-लेखन और अनूदित पुस्तकों को बढ़ावा देना है।

3. <u>विषय</u>

पुस्तकें निम्न विषयों पर लिखी होनी चाहिए । उदाहरणार्थः- जैव विज्ञान, माइक्रोइलैक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटेशनल सिस्टम्स, नौसेना विज्ञान, मिसाइल, मिसाइल तकनीक एवं प्रणाली, आयुध, रक्षा विज्ञान, इंस्ट्रूमेंटेशन, वाहन अनुसंधान, रेडार, सोनार, इलैक्ट्रॉनिक युद्धोपकरण (Warfare), साइबर सुरक्षा, समाघात इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, सामग्री विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन और रक्षा अनुसंधान तथा विकास से संबंधित डीआरडीओ की भावी प्रौद्योगिकियां आदि से निकटस्थ संबंध होना चाहिए ।

4. <u>पुरस्कार की राशि</u>

(क) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे-

(i) प्रथम पुरस्कार (एक)	50,000/- रू. एवं प्रशस्ति पत्र
(ii) द्वितीय पुरस्कार (एक)	40,000/- रू. एवं प्रशस्ति पत्र
(iii) तृतीय पुरस्कार (एक)	30,000/- रू. एवं प्रशस्ति पत्र
(iv) प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	20,000/- रू. एवं प्रशस्ति पत्र

(कुल पांच पुरस्कार)

(ख) उपर्युक्त पुरस्कार, इस प्रयोजनार्थ गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर दिए जाएंगे।

(ग) मूल्यांकन प्रक्रिया तभी प्रारंभ की जाएगी जब निर्धारित अंतिम तारीख तक कम से कम तीन पात्र प्रविष्टियां प्राप्त हो जाएंगी।

5. यह योजना रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा चलाई जाएगी।

6. <u>मूल्यांकन</u>

(क) पुरस्कार प्रदान किए जाने एवं पुस्तकों का चयन करने के लिए एक विभागीय छंटनी समिति होगी। यह समिति पुस्तकों की पात्रता का निर्धारण करेगी।

(ख) एक विभागीय मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। इस समिति में अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्य होंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त

गैर-सरकारी या अन्य विभाग से सदस्यों को शामिल किया जा सकेगा। निदेशक, राजभाषा एवं संगठन पद्धति इसके सदस्य सचिव होंगे। समिति पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगी।

(ग) यदि मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य ने पुरस्कार के लिए अपनी पुस्तक प्रस्तुत की हो तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(घ) मूल्यांकन समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से पांच वर्ष तक होगा। सचिव, रक्षा अनुसंधान तथा विकास एवं अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा इस समिति का गठन किया जाएगा।

(च) पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को यथा-निर्धारित मानदेय प्रदान किया जाएगा।

(छ) प्रविष्टि के रूप में प्राप्त पुस्तक के बारे में उसकी पात्रता का निर्णय निर्धारित मापदंडों के अनुसार गठित छंटनी समिति द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। तत्पश्चात, प्रत्येक पात्र पुस्तक को मूल्यांकन हेतु दो भिन्न-भिन्न मूल्यांकनकर्ताओं को भेजा जाएगा। जिनका चयन मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ता अपना मूल्यांकन राजभाषा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर निदेशालय को निश्चित तारीख तक उपलब्ध करवा देंगे जिसके पश्चात उन्हें मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन पर विचार के बाद पुरस्कारों के संबंध में निर्णय लेगी।

(ज) यदि किसी प्रतियोगिता-अवधि के दौरान प्राप्त सभी पुस्तकों आदि में से किसी भी प्रविष्टि को मूल्यांकन समिति द्वारा पुरस्कार-योग्य नहीं पाया जाता है तो उस प्रतियोगिता-अवधि के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा और अगली प्रतियोगिता-अवधि के लिए निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार यथा-समय नए सिरे से कार्रवाई करते हुए प्रविष्टियां मंगवाई जाएंगी।

(झ) पुरस्कारों के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी।

(ञ) पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे ।

7. <u>पात्रता</u>

(क) सभी भारतीय नागरिक भाग ले सकते हैं।

(ख) इस योजना में केवल प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा। पांडुलिपि स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(ग) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कॉपीराइट बना रहेगा।

(घ) जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका है और कोई पुरस्कार नहीं मिला है तो उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(च) जिन मौलिक पुस्तकों/अनूदित पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उनको पुरस्कार के वर्ष सहित पिछले दो वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।

(छ) शासकीय हैसियत से और सरकारी कामकाज के भाग के रूप में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखित पुस्तक प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होगी।

(ज) सरकारी संविदा के अंतर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक भी विचारार्थ स्वीकार नहीं की जाएगी।

(झ) यदि कोई लेखक किसी एक योजना-अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है तो वह/वे अगली एक योजना-अवधि में भाग लेने का/के पात्र नहीं होगा/होंगे।

(ट) अन्य शर्तों के अलावा इस योजना के अंतर्गत केवल वही पुस्तकें शामिल की जाएंगी, जिनकी न्यूनतम पृष्ठ संख्या एक सौ मानक (100 पृष्ठ) होगी। इन पृष्ठों में संपादकीय, प्रस्तावना, प्रतिक्रियाएं, अन्य लेखकों/पाठकों की टिप्पणियां आदि शामिल नहीं हैं।

(ठ) **पुस्तक एवं उसके सारांश की 10 प्रतियां भेजी जाएं।**

(ड) **पुस्तक में दी गई जानकारी जैसे विषय की तारतम्यता, सामग्री की गुणवत्ता, संदर्भ विवरण, विषय वस्तु की मौलिकता/प्रस्तुतीकरण आदि सहज एवं सरल भाषा में होनी चाहिए।**

(ढ) **लेखक को अपने आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसकी पुस्तक उसके द्वारा स्वयं मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है और यह भी कि उसकी पुस्तक किसी अन्य लेखक के प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) का उल्लंघन नहीं करती है।**

(ण) **पुस्तक, विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषण-युक्त होनी चाहिए। उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, संस्मरण, आदि के रूप में लिखी गई पुस्तकें अथवा स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के रूप में अथवा पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई पुस्तकें प्रतियोगिता के लिए पात्र नहीं होंगी।**

8. <u>सामान्य शर्तें</u>

(क) यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर बांट दिया जाएगा।

(ख) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है।

(ग) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेखक को पुस्तक भेजने से पहले कोई सूचना या स्पष्टीकरण चाहिए तो वह निदेशक, राजभाषा एवं संगठन पद्धति को लिख सकता है।

(घ) यह पुरस्कार हर वित्त वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी वित्त वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

9. <u>प्रविष्टियां आमंत्रित करना</u>

हिन्दी और अंग्रेजी के कुछ समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर लेखकों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय के निदेशालयों तथा इसकी प्रयोगशाला/स्थापनाओं में प्रचार किया जाएगा ।

10. <u>प्रविष्टियां भेजने की विधि</u>

(क) लेखकों को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रपत्र के साथ उन्हें अपनी प्रकाशित पुस्तक की 10 प्रतियां निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करनी होंगी ।

(ख) लेखक को अपनी प्रविष्टि के साथ उसकी विषय-वस्तु के सारांश (अधिकतम पांच पृष्ठ तक) की 10 प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी।

(ग) प्रविष्टि के तौर पर भेजी जाने वाली पुस्तकों की संख्या 10 से कम होने, विषय-वस्तु के सारांश की प्रतियां प्रविष्टि के साथ न भेजे जाने तथा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में न होने की स्थिति में प्रविष्टि अस्वीकार की जा सकती है ।

(घ) एक लेखक एक से अधिक प्रविष्टियां विचारार्थ भेज सकता है (बशर्ते उनकी विषय-वस्तु परस्पर भिन्न हों)। परंतु एक लेखक को केवल एक ही पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसका निर्णय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ।

(च) प्रविष्टियों के तौर पर प्राप्त पुस्तकें लेखकों को वापस नहीं भेजी जाएंगी ।

(छ) परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक प्रविष्टियां, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय में पहुंचाने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से आवेदक का होगा । निर्धारित तारीख के पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों को अस्वीकार किया जा सकता है । किसी भी प्रविष्टि के डाक में खोने अथवा देर से प्राप्त होने के लिए यह निदेशालय उत्तरदायी नहीं होगा ।

(ज) प्रविष्टियां, परिपत्र/विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तारीख तक निम्नलिखित पते पर पहुंच जानी चाहिए:-

निदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय,
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन,
द्वितीय तल, डीआरडीओ भवन
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110011

11. <u>कुछ अन्य सामान्य महत्वपूर्ण बातें</u>

मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है:-

(क) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो।

(ख) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया हुआ हिन्दी अनुवाद न हो ।

(ग) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो।

(घ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा हो।

(च) अनूदित पुस्तक भी पुरस्कार योजना में शामिल की जाएगी बशर्ते कि अनुवादकर्ता ने प्रकाशक तथा मूल लेखक से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

12. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

निदेशक, राजभाषा तथा संगठन पद्धति
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
द्वितीय तल, डीआरडीओ भवन
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली - 110011

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा चलाई जा रही **"रक्षा अनुसंधान तथा विकास संबंधी विषयों पर मौलिक हिन्दी पुस्तक-लेखन पुरस्कार योजना"** के लिए आवेदन पत्र

निदेशक
राजभाषा तथा संगठन पद्धति निदेशालय
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
द्वितीय तल, डीआरडीओ भवन
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011

फोटो

<u>प्रपत्र</u>

1. पुस्तक का नाम .....
2. पुस्तक रक्षा संबंधी विषयों में से किस विषय पर लिखी गई है .....
3. (क) लेखक/लेखकों का/के नाम .....
   (ख) पूरा पता .....
   .....
   .....
   (ग) दूरभाष नंबर .....
4. **पुस्तक के प्रकाशक आदि के बारे में सूचना**
   (क) प्रकाशक का नाम .....
   (ख) प्रकाशक का पूरा पता .....
   .....
   (ग) क्या यह प्रकाशक प्रतिष्ठित/पंजीकृत है? .....
   (घ) पुस्तक का मूल्य .....
   (च) प्रकाशन-वर्ष .....
   (छ) कॉपीराइट किसके अधीन है .....
5. पुस्तक के मुद्रित/मानक पृष्ठों की कुल संख्या .....
   (संपादकीय, प्रस्तावना, प्रतिक्रियाओं, अन्य लेखकों/पाठकों की टिप्पणियों को छोड़कर)
6. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिता में भेजा गया था, यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें-
   (क) किस वर्ष में भेजी गई .....
   (ख) किसे भेजी गई (पूरा पता दें) .....
   (ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें .....

7. क्या लेखक को रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत पहले भी कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है,

यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें-

(क) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक .....

(ख) वर्ष, जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ .....

(ग) प्राप्त पुरस्कार की राशि .....

(घ) वर्ष, जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई .....

(च) प्रकाशक का नाम/पूरा पता .....

.....

(छ) पुस्तक की कीमत .....

8. मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं/करते हैं कि:-

(क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूं/हैं।

(ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिन्दी में लिखी/अनूदित की गई है।

(ग) यह पुस्तक/पुस्तकें स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए पाठ्य-पुस्तक/पुस्तकों के रूप में अथवा पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं लिखी गई है/हैं।

(घ) मेरी/हमारी पुस्तक की इस योजना के अंतर्गत प्रविष्टि करने से किसी अन्य व्यक्ति/लेखक/संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

(च) पुस्तक मैंने/हमने शासकीय हैसियत से या सरकारी कामकाज के भाग के रूप में अथवा सरकारी संविदा के अतंर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार नहीं लिखी है।

(छ) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि प्रपत्र में दिए गए विवरण बिल्कुल सही हैं।

तारीख ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पूरा नाम .....

पूरा पता .....

टिप्पणी

1. यदि किसी पुस्तक के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हों तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी इस प्रपत्र को अलग-अलग भरकर प्रस्तुत करेंगे।
2. हिन्दीतर भाषियों को हिन्दी में लेखन को प्रोत्साहन देने के कुछ बोनस अंक दिए जाएंगे ।
3. आवश्यकतानुसार इस आवेदन-पत्र को टाइप करा कर भेजें।
4. **अंतिम तिथि:** विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र पुस्तक सहित इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से 8 सप्ताह के अंदर इस निदेशालय को भेजा जाए ।